<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 27.06.2024, थाना उमरीबेगमगंज,</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से बम फेकने व मारपीट करने के 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया,</u>

<u>कार्यवाही-</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित वांछित आरोपी अभियुक्तगण 01. आकाश सिंह उर्फ बाबा, 02. सौरभ पाण्डेय, 03. अरूण कुमार कोरी को उसके घर से तथा अभियुक्त 04. विकाश मिश्रा को रानीपुर चौराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2024 को वादी मेहीलाल पासवान पुत्र स्वंग हरदीन निवासी पुरेडाल थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज को सूचना दिया कि दिनांक 21.05.2024 को मै अपना दिवाल बनाकर उस पर सिमेन्ट की चादर डाल कर परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे की विपक्षीगण रामकरन आदि मोटरसाकिल व बोलेरो से 20-25 की संख्या में अपने अपने हाथ में हथियार, हाकी, डण्डा व हाथ गोला बम लेकर मेरे घर पर हमला कर दिया। दिवाल व सीमेन्ट की चादर व घर में रखा सारा समान तोड़ दिये। गाली गुप्ता देते हुए जान मारने के नियत से घर पर बम फेक दिया जिससे काफी चोटे आयी है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि व 4/5 विस्फोटक अधि बनाम संतोष पासवान आदि 04 नामजद व 20-05 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 27.06.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों 01. आकाश सिंह उर्फ बाबा, 02. सौरभ पाण्डेय, 03. अरूण कुमार कोरी को उसके घर से तथा अभियुक्त 04. विकाश मिश्रा को रानीपुर चौराहा से गिरफ्तार कर विकाश मिश्रा के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आकाश सिंह उर्फ बाबा पुत्र रंजीत सिंह निवासी कडहरन पुरवा मौजा कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

02. सौरभ पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय निवासी बगही पुरवा जमाल खानी थाना तरबगंज गोण्डा
03. अरुण कुमार कोरी पुत्र मनोज कुमार कोरी निवासी बगही पुरवा मौजा जमालखानी थाना तरबगंज गोण्डा
04. विकास मिश्रा पुत्र गौरीशंकर मिश्रा निवासी गोरथनिया खानपुर थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 146/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 307 भादवि, 4/5 विस्फोटक अधिनियम 1984 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार गौतम
02. उ0नि0 उमेश सिंह
03. उ0नि0 अभिलेख तिवारी
04. हे0का0 कलेन्द्र यादव
05. का0 अजय कुमार
06. का0 सुरेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.06.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा लड़की को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-195/24, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र लवकुश चौहान निवासी ग्राम ललहा गोपियापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा को चंदापुर कोडर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी मुकेश चौहान अपने सहयोगीयों की मदद से उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र लवकुश चौहान निवासी ग्राम ललहा गोपियापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.05.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुकेश चौहान पुत्र लवकुश चौहान निवासी ग्राम ललहा गोपियापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-195/24, धारा 363,366 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दुर्गेश कुमार
02. हे0का0 जितेन्द्र यादव
03. हे0का0 पंकज सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.06.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-224/24, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोनू कोरी पुत्र गोलकाई कोरी निवासी मझगवां थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को खिरिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी सोनू कोरी द्वारा उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सोनू कोरी पुत्र गोलकाई कोरी निवासी मझगवां थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.05.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सोनू कोरी पुत्र गोलकाई कोरी निवासी मझगवां थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-224/24, धारा 363,366 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सावन सिंह
02. हे0का0 अनिल कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 27.06.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 06 माह का कारावास व रूपए 4,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 06 माह का कारावास व रु0 4,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 08.09.2020 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त जयशंकर पुत्र दीनानाथ शुक्ला निवासी ग्राम रामबली पुरवा भौजीगंज थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर का0 सौरभ प्रताप सिंह व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकान्त के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा द्वारा 06 माह कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. जयशंकर पुत्र दीनानाथ शुक्ला निवासी ग्राम रामबली पुरवा भौजीगंज थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-257/2022, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।